| |
|---|
| दिनांक 12.01.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 26/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## मरणासन्न व मृत व्यक्तियों का धोखाधडी से लोगो का बीमा कर क्लेम की राशि हडपने वाले संगठित अन्तरराज्यीय गिरोह के 03 सदस्यों द्वारा अपराध से अर्जित कुल सम्पत्ति 11,89,51,000 की कुर्की की कार्यवाही थाना बहजोई जनपद सम्भल।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मरणासन्न व मृत व्यक्तियों का धोखाधडी से लोगो का बीमा कर क्लेम की राशि हडपने वाले संगठित अन्तरराज्यीय गिरोह के 03 सदस्यों द्वारा अपराध से अर्जित कुल सम्पत्ति 11,89,51,000 की कुर्की की कार्यवाही थाना बहजोई जनपद सम्भल द्वारा की गयी।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) जनपद सम्भल सुश्री अनुकृति शर्मा व क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉ0 प्रदीप कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद सम्भल की दक्षिणी जोन की पुलिस द्वारा एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया था, जो भोले भाले लोगो से धोखाधडी कर बीमा कराकर क्लेम की राशि हडप लेते थे।

यह गिरोह 12 से अधिक राज्य में सक्रिय था व इसका द्वारा 100 करोड से अधिक का घोटला किया गया था। जांच के उपरान्त जनपद सम्भल मुरादाबाद, बंदायू अमरोहा इत्यादि में 25 से अधिक अभियोग पंजीकृत किये गये तथा पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत 70 से अधिक अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जांच के दौरान कई ऐसी हत्याओ का भी अनावरण हुआ जो कि बीमा की राशि हडपने के उद्देश्य से कारित की गयी थी। अभियुक्तगणो के इस कृत्य में आशा कर्मी , इनवेस्टिगेंशन एजेंसी ,बीमा कम्पनी, बैंक कर्मचारी इत्यादि द्वारा इनकी मदद की जाती थी।

गिरोह के 25 अभियुक्त जिनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका था। उनके सम्बन्ध में थाना रजपुरा पर मु0अ0सं0 – 237/2025 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम ओंकारेश्वर मिश्रा करन आदि 25 नफर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगणो द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्तियों का विवरण सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त किया गया तो अभियुक्त सचिन शर्मा द्वारा 9,18,72,000 रू0, अभियुक्त गौरव शर्मा द्वारा 1,44,02,000 रु0 व अभियुक्त ओंकारेश्वर मिश्रा करन द्वारा 1,26,77,000/00 रू0, की अवैध सम्पत्ति अर्जित करना पाया गया। जिसको न्यायालय जिला मजिस्ट्रैट जनपद सम्भल द्वारा पारित आदेश दि0 – 07.01.2026 के द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में रिसिवर (तहसील गुन्नौर/वाराणसी) नियुक्त कर कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

इन सभी उपरोक्त अभियुक्तगणो के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही जनपद सम्भल, बंदायू वाराणसी, गौतमबुद्धनगर में जनपद सम्भल की पुलिस द्वारा की जा रही है।

**गिरोह के सदस्यो द्वारा अपराध से अर्जित की गयी कुल सम्पत्ति 11,89,51,000 रू0 की सम्पत्ति का अभियुक्तवार विवरणः-**

**ओंकारेश्वर मिश्रा करन पुत्र ओमप्रकाश मिश्रा निवासी फुलवरिया थाना कैण्ट जनपद वाराणसी द्वारा अर्जित सम्पत्ति का विवरणः-**

**01.** एक 02 मंजिला आवासीय मकान ग्राम फुलवरिया परगना दे0आ0 तह0 व जिला वाराणसी में खाता सं0 – 494, आरजी नं0-मि0 – 362/2 रकवा 0.2970 हे0 मे से 74.34 वर्ग मी0।

**02.** मौजा फुलवरिया परगना दे0आ0 तह व जिला वाराणसी में गाटा सं0 – 553 रकवा 93.69 वर्ग मी0 भूमि, जिस पर वर्तमान में दो मंजिला मकान बना हुआ है। (बहन सुषमा मिश्रा के नाम पर)

**03.** मो0सा0 बजाज पल्सर रजि0 नं0 – UP65FB6923, मॉडल नं0 – 2024।

**04.** कार स्कोर्पियों रजि0 नं0 – UP32NZ3002, मॉडल नं0 – 2023।

**सचिन उर्फ मोनू पुत्र गनेशीलाल निवासी ग्राम फरीदपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल, हाल निवास मौहल्ला शिवपुरी लाइनपार कस्बा व थाना बबराला जनपद सम्भल द्वारा अर्जित सम्पत्ति का विवरणः-**

01. एक आवासीय मकान 60 वर्ग मी0 म0नं0 - 33, ब्लाक - डी, सेक्टर - गामा - 01, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

02. एक आवासीय मकान 100.08 वर्ग मी0 म0नं0-174, ब्लाक - सी, सेक्टर एल्फा1, एलाटमेन्ट नं0 - ए013997, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

03. एक आवासीय प्लाट 222.96 वर्ग मी0 वार्ड/परगना असदपुर मोहल्ला/गांव बाघऊ, गुन्नौर सम्भल

04. ग्राम भीमपुर दोस्तपुर परगना व तहसील सहसवान जनपद बंदायू में गाटा सं0 - 292/0.251 हे0, 294/0.358 हे0, 415/.445 हे0 कुल 1.054 हे0 भूमि।

05. ग्राम सादिकपुर, वार्ड/परगना - रजपुरा, तहसील गुन्नौर, सम्भल में गाटा सं0 – 204/0.709 हे0 पूर्ण भाग में से 0.355 हे0।

06. वाहन स्कूटर टीवीएस जूपिटर रजि0 नं0 – UP38L6839, मॉडल – 2018।

07. एक आवासीय मकान मौ0 शिवपुरी पश्चिम कस्बा व थाना बबराला जनपद सम्भल में क्षेत्रफल 83.24 वर्ग मी0 जो कि 189.23 वर्ग मी0 भूमि। (पिता गनेशीलाल के नाम पर)

08. एक आवासीय 02 मंजीला मकान मौ0 शिवपुरी कस्बा व थाना बबराला परगना असदपुर जनपद सम्भल क्षेत्रफल – 132.19 वर्ग मी0 भूमि। (माता श्रीमती विमलेश शर्मा के नाम पर)

09. एक कार एमजी हेक्टर डी माउंट शार्प बीएसवीआई, रजि0 नं - UP16DF9927, मॉडल – 2022 (पत्नी श्रीमती निधि शर्मा के नाम पर)

10. एक आवासीय मकान 100 वर्ग मी0 - म0नं0 - 297, ब्लाक सी, सेक्टर एल्फा1, एलाटमेन्ट नं0 - ए014425, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर। (भाई सोनू शर्मा के नाम पर)

11. एक आवासीय प्लाट 249.64 वर्ग मी0 - वार्ड/परगना - असदपुर, मौह0/गांव - बाघऊ - चन्दौसी रोड पर मंत्री श्री प्रदीप कुमार यादव के घर से पैट्रोल पम्प तक। (भाई सोनू शर्मा के नाम पर)

12. ग्राम भीमपुर दोस्तपुर परगना व तहसील सहसवान जनपद बंदायू में गाटा सं0 - 292/0.125 हे0, 294/0.358 हे0 कुल .483 हे0 भूमि। (भाई सोनू शर्मा के नाम पर)

13. एक कार महिन्द्रा स्कोर्पियों एस5 रजि0 नं0 – UP38V3929, मॉडल – 2021 (भाई सोनू शर्मा के नाम पर)

**गौरव शर्मा पुत्र गनेशीलाल निवासी ग्राम फरीदपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल, हाल निवास मौहल्ला शिवपुरी लाइनपार कस्बा व थाना बबराला जनपद सम्भल द्वारा अर्जित सम्पत्ति का विवरणः-**

01.एक आवासीय मकान 60 वर्ग मी0 म0नं0 - 172, ब्लाक - बी, सेक्टर - एल्फा - 01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर। (गौरव शर्मा व पत्नी शिल्पी शर्मा (संयुक्त रूप से)।

02.ग्राम भीमपुर दोस्तपुर परगना व तहसील सहसवान जनपद बंदायू में गाटा सं0 - 415/0.445 हे0 भूमि।

03.मोटर साइकिल स्पेलेन्डर रजि0 नं0 - UP38D8642, मॉडल – 2015।

04.कार स्वीफ्ट वीएक्सआई रजि0 नं0 - UP38W1336, मॉडल – 2021 (पत्नी श्रीमती शिल्पी शर्मा के नाम पर)।

**आपराधिक इतिहासः-**

**01.**मु0अ0सं0 13/25 धारा 109(1)/318(4)/338/336(3)/340(2)/111(2)ख/61(2)क बीएनएस थाना रजपुरा जनपद सम्भल

**02.**मु0अ0सं0 36/25 धारा 318(4)/319(2) बीएनएस थाना रजपुरा जनपद सम्भल

**03.**मु0अ0सं0 50/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3)/ 61(2)क/111(2)ख बीएनएस थाना रजपुरा जनपद सम्भल

**04.**जीरो एफआईआर नं0 02/25 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना रजपुरा जनपद सम्भल

**05.**मु0अ0सं0 26/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/111(2)ख/ बीएनएस थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

**06.**मु0अ0सं0 31/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/351(2) /111(2)ख/ बीएनएस थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

**07.**मु0अ0सं0 14/25 धारा 318(4),336(3)338,340(2)111(2)(वी) बीएनएस थाना कुढफतेहगढ जनपद सम्भल

**08.**मु0अ0सं0 30/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/111(2)(ख) बीएनएस थाना बनियाठेर जनपद सम्भल

**09.**मु0अ0सं0 67/25 धारा 318(4)/316(2)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस धारा 36/42 आधारकार्ड (वित्तीय ओर अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओ के लक्षित वितरण ) अधिनियम 2016 थाना बहजोई जनपद सम्भल

**10.**मु0अ0सं0 66/25 धारा 420/406 भादवि थाना धनारी जनपद सम्भल

**11.**मु0अ0सं0 35/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ

**12.**मु0अ0सं0 95/25 धारा 420 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा

**13.**मु0अ0सं0 212/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना मंझौला जनपद मुरादाबाद

| |
|---|
| दिनांक 12.01.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 27/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा**

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.01.2026 को थाना दुधारा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करमाखान जाने वाली सड़क के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनीश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद संतकबीरनगर के थाना दुधारा पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दुधारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अनीश निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद चन्दौली/थाना धानापुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 12.01.2026 को थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगवा घाट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद चन्दौली के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना धीना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना धानापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अक्षय कुमार निवासी ग्राम महुजी थाना धीना जनपद चन्दौली।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

## जनपद गोरखपुर/थाना एम्स

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली धातु (261 ग्राम) सफेद धातु (01 किलो 372 ग्राम)**
- **लूटे गये 70 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.01.2026 को थाना एम्स व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माड़ापार एनएच–28 के पास से 03 अभियुक्तों 1–राजकुमार

उर्फ टिन्कू 2–धनन्जय 3–अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली धातु (261 ग्राम) सफेद धातु (01 किलो 372 ग्राम), लूटे गये 70 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि 05.01.2026 को थाना एम्स क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना एम्स पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद पीली–सफेद धातु, रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना एम्स पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–राजकुमार उर्फ टिन्कू निवासी ग्राम ह्रदयपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ, हालपता सिरजम थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

2–धनन्जय निवासी पुरानी असुरन चुंगी खरैय्या पोखरा थाना शाहपुर गोरखपुर।

3–अभिषेक निवासी पुरानी असुरन चुंगी खरैय्या पोखरा थाना शाहपुर गोरखपुर।

**बरामदगी**

1–लूटे गये पीली धातु (261 ग्राम) सफेद धातु (01 किलो 372 ग्राम)।

2–लूटे गये 70 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

## जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 19 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 12.01.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णा नगर कॉलोनी के पास से 02 अभियुक्तों 1–जैनुल्ला 2–शाहिम अली

को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 19 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त जैनुल्लाह शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अयोध्या, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–जैनुल्ला निवासी हथिलाही थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या।

2–शाहिम अली निवासी हथिलाही थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या।

**बरामदगी**

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 19 हजार रूपये नगद आदि।

## जनपद सोनभद्र/थाना हाथीनाला

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 442 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 हजार 390 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त डीसीएम वाहन बरामद**

दिनॉकः11.01.2026 को थाना हाथीनाला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हथवानी मोड़ से 02 अभियुक्तों 1–जावेद बाबूलाल महबूब शेख 2–इस्माइल हजरत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़

10 लाख रूपये कीमत के 442 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, 01 हजार 390 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त डीसीएम वाहन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना हाथीनाला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–जावेद बाबूलाल महबूब शेख निवासी नलदुर्ग तहसील तुलजापुर थाना नलदुर्ग जनपद उस्मानाबाद, महाराष्ट्र।

2–इस्माइल हजरत निवासी अम्बेडकर नगर फैझर रोड तुर्भे नाका थाना MIDC तुर्भे जनपद ठाणे, नवी मुंबई।

**बरामदगी**

1–लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 442 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 हजार 390 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त डीसीएम वाहन।

## जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 11.01.2026 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चॉदपुर पुलिया के पास से अभियुक्त मुसलमीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 20 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मुसलमीन निवासी ग्राम भैंसरहेडी थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

**बरामदगी**

1–20 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

- **जनपद मथुरा/थाना गोविन्दनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना गोविन्दनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाष को आजीवन कारावास व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376 भादवि व 3/4पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————